न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 15/2016 2016/00075

अनवान :–
श्री हंसराज साध खादय सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

अनवर पुत्र श्री अहमद अली तेली (मुसलमान) खाद्य तेल निर्माता व विक्रेता निवासी :– मदीना मस्जिद के पास सिटी कोतवाली बीकानेर (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–
1. विभागीय प्रतिनिधि – श्री महमूद अली, खादय सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री इसाक अली अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक – 02.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 15.07.2015 को अप्रार्थीपक्ष श्री अनवर अली पुत्र अहमद अली मदीना मस्जिद के पास, सिटी कोतवाली बीकानेर के यहां फर्म पर निरीक्षण करने पर पैकड सरसो का तेल करीब 15 किलोग्राम आमजन को बिक्री हेतु पाया गया । तदन्तर मिलावट का शक होने पर इन सील बंद सरसो तेल के पीपों में से एक सील बंद पीपे को खुलवाया गया। उक्त पीपे में से सरसों तेल 1600 ग्राम के भाव से 126/– रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता, गवाहान एवं प्रार्थीके हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त सरसो तेल को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अलग–अलग चार बराबर भागों में बांटकर प्रत्येक शीशीयों को सील्ड पैकेट कर सीलबंद शीशीओं पर सीरियल क्रमांक J- 962 अंकित कर एक सील्ड पैक शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 21.09.2015 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई। जिसमें सरसो का तेल सबस्टेण्र्डड पाया गया। अप्रार्थी द्वारा रेफरल फूड लेब गाजियाबाद में उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (लूज) की जांच करवाई गई। जिनके यहां से दिनांक 14.12.2015 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें भी सरसो का तेल सबस्टेण्डर्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सरसो का तेल सबस्टेण्र्डड का विकय कर खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खादय पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री इसाक अली एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब प्रस्तुत किया । चूंकि अप्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण दिनांक 11.07.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखा गया था किन्तु अप्रार्थी की सहमति नहीं होने पर पुनः नियमित सुनवाई में रखा गया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

3. प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कथन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से सरसो का तेल का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार सीरियल क्रमांक J- 962 के मामले में Bellier Test (Turbidit) temperature- Acetic acid method) 23° C to 27.5°C के मध्य होना चाहिए जबकि रिपोर्ट में 30.0°C पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। अप्रार्थी के निवेदन पर उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (लूज) की रेफरल फूड लेब गाजियाबाद से पुनः जांच करवाई गई। जिनके यहां से दिनांक 14.12.15 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पुनः जांच के दौरान भी सरसो का तेल सबस्टेण्डर्ड पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां सरसों का तेल सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है।

4. अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी के यहां दिनांक 15.07.2015 को एक ही समय में एक ही स्थान पर सरसो तेल के दो अलग–अलग सैम्पल लेकर मामले पेश करना न्याय संगत नहीं है। अप्रार्थी द्वारा कोई व्यापार तेल का विक्रय नहीं किया जा रहा था ना ही उसके कोई विक्रय हेतु तेल के पीपे रखे हुए थे दो स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में सैम्पल नहीं लिया गया है और ना ही कथित साक्ष्यों की सैम्पल लिये जाने से पूर्व सहमति स्वरूप कोई पत्र पत्रावली में मौजूद है। प्रतिपक्षी से किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गये थे, ना ही उसके समक्ष किसी गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये थे और ना ही आवेदक ने प्रतिपक्षी के समक्ष कोई हस्ताक्षर किये थे। अप्रार्थी के समक्ष कोई लेबल फॉर्म तैयार नहीं किया गया ना ही कोई खाली बोतले ली, ना ही उसके सामने कोई कार्यवाही की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका की फर्द, मौके पर नहीं बनाई और ना ही प्रतिपक्षी को पढ़कर सुनाई व समझाई गयी। अप्रार्थी ने निवेदन किया है कि इस मामले में एक ही समय में एक ही दिन में एक ही स्थान पर दो अलग–अलग मामले बनाकर बनाकर पेश करना न्यायसंगत नहीं है। अप्रार्थी बीपीएल श्रेणी का है। अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त दोनों परिवाद खारिज किया जावे एवं प्रतिपक्षी को शास्ति के दायित्व से मुक्त किया जाने का आदेश फरमावें।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी पक्ष द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की जांच रिर्पोट क्रमांक जे–962 दिनांक 21.09.15 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई है, जांच रिपोर्ट संलग्न है जिनमें अप्रार्थी के यहां सरसो तेल सबस्टेण्डर्ड स्तर का पाया गया। अप्रार्थी द्वारा रेफरल फूड लेब गाजियाबाद से पुनःजांच करवाई गई। जिनके यहां से दिनांक 14.12.15 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रेफरल फूड लेब गाजियाबाद ने अपनी रिर्पोट दिनांक 14.12.15 के प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि "The sample of Sarson Tel(Loose) Does not conform to standards laid down under Regulation No. 2.2.1(6) of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, as the sample

जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

shows B.R. Reading at 40° C, Saponification value and Bellier Test(Turbidity temperature- Acetic acid method) above the maximum prescribed limit. The sample is thus sub-standard under section 3(1)(zx) of PFA Act, के तहत निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने से सरसो तेल (मूल) सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का सरसो तेल विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह बखूबी साबित है कि अप्रार्थी द्वारा सरसो तेल में मिलावट कर विक्रय किया जा रहा है जो आमजन के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक कारित कृत्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर रूपये 5,000/– अखरे पांच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।

7. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 66 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञापित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 02.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि(अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर (प्रशा), बीकानेर
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner